संख्या-390/ग्यारह-2-2016-9(17)/13

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्यकर ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 17 मार्च, 2016

विषय: प्रदेश में बिल्डर्स हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्श 2012-13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये देयकर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिये समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा प्रदेश में बिल्डर्स हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्श 2012-13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये देयकर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिये समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, शपथ पत्रअनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार व प्रसार करने एवं योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-390/ग्यारह-2-2016-9(17)13 दिनांक 17 मार्च, 2016 का संलग्नक।</u>

विषय : प्रदेश में बिल्डर्स हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये देयकर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिये समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन के निर्देश ।

प्रदेश में बिल्डर्स के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्श 2012-13 एवं आगे के सभी वर्षों के लिये समाधान योजना कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है :-

(i) इस योजना के अंतर्गत किसी अनुबन्ध में उलिलखित सकल धनराशि अथवा ऐसे अनुबन्ध के संबंध में इण्डियन स्टैम्प एक्ट, 1899 के अधीन देय स्टाम्प डयूटी हेतु अवधारित मूल्य, जो भी अधिक हो:-

(क) का 1 प्रतिशत, प्रदेश के अन्दर से माल की खरीद करते हुये प्रदेश में निर्माण किये जा रहे भवनफलैटस में इनका अन्तरण किये जाने की दशा में, समाधान राशि होगी।

(ख) का 3 प्रतिशत, प्रदेश के अन्दर से माल की खरीद करते हुये व प्रदेश के बाहर से प्रदेश में माल का आयात करते हुये प्रदेश में निर्माण किये जा रहे भवनफलैटस में इनका अन्तरण किये जाने की दशा में, समाधान राशि होगी।

(ii) योजना के निर्गत किये जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर तथा नए प्रोजैक्टस अग्रेतर आरम्भ किये जाने की दशा में प्रोस्पेकिटव क्रेता से प्रथम अनुबन्ध की तिथि के 30 दिन के भीतर उक्त समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र संबंधित कर निर्धारक अधिकारी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और यह योजना उक्त प्रोजेक्ट से संबंधित सीभ अनुबन्धों पर लागू होगी।

(iii) यदि उक्त नियत समय सीमा के अन्दर व्यापारी द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्यापारी द्वारा रू0 10,000-विलम्ब शुल्क के साथ उक्त नियत समय सीमा समाप्त होने के अगले 60 दिन के अन्दर समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर यह समाधान योजना स्वीकार की जा सकती है।

(iv) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी को इस योजना के प्रभावी होने के बाद के समस्त प्रोजेक्टस के लिये भी समाधान योजना स्वीकार करना अनिवार्य होगा और ऐसे व्यापारी को यह छूट नहीं होगी कि वह कुछ प्रोजेक्टस के लिये समाधान योजना स्वीकार करे और कुछ प्रोजेक्ट के लिये समाधान योजना स्वीकार न करे।

(v) इस योजना को अपनाने वाले बिल्डर को प्रान्त बाहर से माल का क्रय फार्म-सी के विरूद्ध करते हुये फार्म-एफ के विरूद्ध स्टाक ट्रांसफर के रूप में प्रान्त बाहर से प्राप्त माल का उपयोग भवनफलैटस के निर्माण में करने की सुविधा अनुमन्य होगी परन्तु ऐसे बिल्डर के लिये प्रान्त बाहर से माल का आयात करते हुये उसका उपयोग भवनफलैटस के निर्माण में करने से संबंधित समाधान राशि का विकल्प अपनाना अनिवार्य होगा।

(vi) व्यापारी को एक बार यह समाधान योजना स्वीकार किये जाने के पश्चात भविष्य में इसे वापस लेने की छूट नहीं होगी, सिवाय उस दशा में, जबकि समाधान राशि में बाद में बढ़ोत्तरी कर दी गयी हो।

(vii) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी को सम्बनिधत वित्तीय वर्श में निष्पादित होने वाले अन्य प्रोजेक्टस के लिये अलग से समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(viii) समाधान योजना स्वीकार करने वाले जिन व्यापारियों द्वारा एक से अधिक जनपदों में बिलिडंग प्रोजेक्ट के निष्पादन का कार्य किया जाता है, उनका मुख्य व्यापार स्थल जिस कर निर्धारक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है, समाधान प्रार्थना पत्र वहीं प्रस्तुत किया जायेगा। इसकी सूचना उन सभी कर निर्धारक अधिकारियों को भी देंगे, जिनके अधिक्षेत्र में बिलिडंग प्रोजेक्ट का निष्पादन किया जा रहा है।

(ix) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के अधीन प्राविधानित कर विवरणी एवं समाधान राशि जमा होने का प्रमाण जमा करना होगा। समाधान राशि विलम्ब से जमा किये जाने की सिथति में नियमानुसार ब्याज की देयता होगी।

(x) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के अधीन प्राविधानित समेकित विवरण का अनुलग्नक फार्म-बावन प्रस्तुत करना होगा। यह व्यापारी का दायित्व होगा कि जिस वित्तीय वर्श से सम्बनिधत समेकित विवरण का अनुलग्नक फार्म-बावन प्रस्तुत किया गया है, उस वित्तीय वर्श में निष्पादित समस्त प्रोजेक्टस एवं समस्त अनुबन्धों का विस्तृत विवरण समेकित विवरण का अनुलग्नक फार्म-बावन में घोषित कर दिया गया है।

(xi) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी को किसी खरीद पर, यदि कोई हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(xii) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा समाधान योजना की अवधि में न तो कोई कर वसूल किया जायेगा और न ही कोई टैक्स इन्वाईस जारी किया जायेगा।

(xiii) समाधान योजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर यथोचित निर्देश जारी किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xiv) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी पर ऐसे माल की बिक्री पर देयकर जमा करने का दायित्व होगा, जिसका उपयोग भवन प्रोजेक्ट के निष्पादन में नहीं हो सका हो।

(xv) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा किसी कर अवधि में प्रास्पेकिटव क्रेताओं से प्राप्त धनराशि पर उपयर्ुक्त प्रस्तर-(प) के अनुसार आंकलित धनराशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा धनराशि का समायोजन इस योजना के अन्तर्गत देय समाधान राशि में किया जा सकेगा।

(xvi) यदि व्यापारी द्वारा विभिन्न कर अवधि में जमा की गयी धनराशि देय समाधान राशि से कम स्पष्ट होती है तो ऐसी कम जमा धनराशि समाधान योजना का अनुबन्ध निष्पादित होने की तिथि को जमा करनी होगी तथा यदि विभिन्न कर अवधि में जमा की गयी धनराशि देय समाधान राशि से अधिक स्पष्ट होती है तो देय समाधान राशि से अधिक जमा की गयी ऐसी धनराशि व्यापारी को नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

(xvii) यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यापारी द्वारा उक्त समाधान योजना स्वीकार करते समय कोई सूचना छुपायी गयी है अथवा मिथ्या घोषणा की गयी है तो ऐसे समाधान प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का अधिकार कर निर्धारक अधिकारी को होगा और अधिनियम के अधीन नियमानुसार अर्थदण्ड एवं कर निर्धारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(xviii) समाधान राशि, देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 33 में भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी।

(xix) अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी समाधान राशि के सम्बन्ध में कर निर्धारक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 56 के अन्तर्गत पुनरीक्षणीय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xx) प्रार्थना-पत्र तथा षपथ-पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जांच के समय व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जांच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की सिथति में प्रार्थना-पत्र तथा षपथ-पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निश्कर्श निकाला जायेगा। साथ ही यदि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(xxi) समाधान योजना लागू होने के पूर्व यदि किसी व्यापारी के सुसंगत वर्श के वाद में अनितम कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है, तो उसे उस वर्श के लिए समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा परन्तु वर्श 2012-13 के जिन मामलों में अनितम कर निर्धारण की कार्यवाही अभी लमिबत है, उनमें समाधान योजना अपनाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

(xxii) समाधान योजना से सम्बनिधत समाधान प्रार्थना पत्र, शपथ पत्रअनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।